ISSN 2455-0310

3.3

LISTED UNDER
UGC APPROVED LIST OF JOURNALS

TRANSFRAME

A Bilingual, Bimonthly Multidisciplinary International e-Journal

VOLUME 3, ISSUE 3

JANUARY - FEBRUARY 2018

स्त्री विमर्श : भावनात्मक एवं शारीरिक शोषण के विविध आयाम

सूर्या ई.वी.

सहायक प्रोफ़ेसर

इलाहाबाद केंद्र

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

महाराष्ट्र

शोषण कई रूप जो हर स्तर पर देखने को मिलते हैं; जैसे अमीरों द्वारा गरीबों का, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का, मालिक द्वारा श्रमिकों का, पितृसत्तात्मक समाज द्वारा महिलाओं का शोषण। यहाँ प्रमुख रूप से स्त्री-शोषण की बात की जा रही है।

हमारे देश में महिलाओं का शोषण प्राचीन काल से होता आ रहा है। आज के समय में इसमें बदलाव सिर्फ उसके रूप, समय और परिस्थिति में है। एक स्त्री होने के नाते वह हरदम भावनात्मक और शारीरिक शोषण से पीड़ित रहती है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, देश की हो, जिनमें भले ही शोषण की मात्रा कम-ज्यादा होती हो। भारत सहित किसी भी विकासशील और विकसित देश में पितृसत्तात्मक समाज अपने अहं के चलते स्त्री का पक्षधर होता नहीं दिखाई देता, वह स्त्री को अपना गुलाम बनाए रखना चाहता है। कोई भी धर्म हो जहाँ स्त्री को पुरुष के अधीन और पुरुष को हर स्थिति में स्त्री से अधिक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में दिखाया जाता है। मनु महाराज ने जाति -व्यवस्था को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में स्त्री को ही समझा था। अत: मनु द्वारा स्त्री को पुरुष से कम महत्वपूर्ण मानने और उसे केवल भोग्या और मशीन के रूप में देखने के नजरिए को स्थापित करने की खातिर नियम-कायदे ऐसे बनाए गए हैं, जिनके तहत स्त्री बंधी रहे। इनके विचारों का समर्थन धार्मिक ग्रंथों में भी भरपूर देखने को मिलता है। इस परंपरा को साथ लेकर चलने वाली भारतीय संस्कृति ने हमेशा के लिए स्त्री-पुरुष भेदभाव को बरकरार रखा, क्योंकि इस लिंग-भेद को बनाए रखना, पुरुष और पुरुष प्रधान व्यवस्था के लिए जरूरी था। अत: वैदिककाल से लेकर आज तक स्त्री भावनात्मक और शारीरिक शोषण का शिकार होती रही है।

संसार में कहीं भी स्त्री परिवार के अंदर और बाहर कई तरह के भावनिक और शारीरिक शोषण की शिकार है। शोषण के पीछे का एक मात्र उद्देश्य यही है- पुरुषप्रधान समाज को बनाए रखना। स्त्री के खिलाफ हर प्रकार के नियम-कायदे इसलिए बनाए गए थे, जिसके जरिए स्त्री पुरुष के अधीन रहे तथा पुरुष स्त्री का शोषक बना रहे। इन नियम-कायदों से समाज इतना प्रभावित है कि किसी स्त्री द्वारा इसका उल्लंघन करने से पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। बदलते समाज के साथ मानवीय सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आया है, लेकिन पुरुष आज भी अपने आप को श्रेष्ठ और स्त्री को अपने से नीच ही समझता है। इस वजह से ही स्त्री कितनी भी प्रगतिशील हो या किसी बड़े पद पर बैठी हो तब भी पुरुष उसे अपने बराबर नहीं समझता है। जिस प्रकार व्यक्ति का मन और शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार उसके प्रति हिंसा चाहे भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर हो, एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। अर्थात् मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति का शारीरिक रूप से कमजोर होना और शारीरिक शोषण से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसकी चोट पहुँचना। लेकिन शोषण के कुछ रूप ऐसे भी हैं, जिससे व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक स्तर पर कभी कम-

ज्यादा असर होता है, जैसे कि गाली देना आदि।

"स्त्री को जीवन के किसी भी क्षेत्र मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करना, संताप देना, शारीरिक यातना देना, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना, नीचा दिखाना, हीनभावना रखना, पैर की जूती समझना, उत्पीड़ित करना, परेशान करना, रखैल बनाकर रखना, अत्याचार करना, जुल्म करना, अपमानित करना, बलात्कार करना, अपहरण करना, जला देना, अंग-भंग करना, अश्लील आचरण करना, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, तलाक देना, भ्रूणहत्या आदि नारी उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं।"[1] इसके अलावा कमरे में बंद करके रखना, खाना न देना, जहर पिलाना, नोचना, चाकू से या गला दबाकर मारना, यौन शोषण, छेड़छाड़ आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। विशेष बात एक तो यह है कि शोषक पुरुषों में शिक्षित पुरुष भी शामिल हैं। उन लोगों द्वारा ही सबसे ज्यादा भ्रूण-हत्या, दहेज-हत्या जैसे अत्याचार किए जाते हैं। यह स्थिति शिक्षित होने के बावजूद भी पुरुष और समाज के विचार नहीं बदलने से ही होती है।

स्त्री उत्पीड़न के अंतर्गत घरेलू उत्पीड़न बहुत गंभीर समस्या है। स्त्री के मुकाबले पुरुष को श्रेष्ठ मानने वाली सोच परिवार से ही निर्मित होती है। स्त्री की हर इच्छा को दरकिनार करना, लड़का-लड़की में फर्क करना, सब इसी सोच से विकसित हुई हैं। यही बात स्त्री को मनोवैज्ञानिक स्तर पर अधिक चोट पहुँचाती है। परिवार से मिली हुई इस सीख के कारण ही पुरुष, स्त्री को हमेशा कमजोर समझता है, जिसके चलते स्त्री कितनी भी प्रगतिशील बने, परंतु उसे मानसिक रूप से बंधन में रहना पड़ता है, जैसे कि उसकी अभिव्यक्ति की पराधीनता, उसके निर्णय को अनसुना करना, उसकी राय न लेना आदि। उच्च-मध्य वर्गीय स्त्रियाँ अपेक्षाकृत शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी उनके साथ शारीरिक शोषण कम नहीं होता है, परंतु वे मानसिक तनाव से ग्रस्त रहती हैं। लेकिन निम्न वर्ग की स्त्रियाँ शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर अधिक उत्पीड़ित होती दिखाई देती हैं, क्योंकि ये स्त्रियाँ ज्यादातर अशिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति कम जागरूक रहती हैं। घरेलू हिंसा विवाहेतर जीवन में भी देखने को मिलती है। इसकी वजह दहेज, कन्या शिशु की उपेक्षा, पति का दूसरी स्त्री से संबंध तथा छोटी-छोटी बातों पर मार-पीट करना, (जैसे कि खाना बनाने में देरी होने से, पति की किसी बात को न मानने से, पति से आवाज उठाकर बात करने से) आदि कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अकारण शराबी पति द्वारा स्त्री का शारीरिक और मानसिक शोषण भी अक्सर गांवों में देखा जा सकता है। यदि पत्नी ने पति की गलत हरकतों में हस्तक्षेप किया तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। पति के घर देर से आने पर भी पत्नी को किसी भी तरह का सवाल करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि यदि पत्नी के किसी से 2 मिनट से ज्यादा बात कर लेने पर, पति या अन्य द्वारा उसे संदेह की नजर से देखे जाते हैं। स्त्री अपने परिवार की इच्छाओं के लिए क्या-क्या नहीं करती है। स्त्री अपना जीवन भी कभी अपने लिए नहीं जी पाती है, यहाँ तक कि पति से पूछे बिना घर से बाहर निकलने का हक तक उसे नहीं होता है। घर की या बच्चों की किसी भी विशेष बात को लेकर निर्णय भी पति द्वारा ही लिया जाता है। ये सारी परिस्थितियाँ एक स्त्री के लिए बहुत पीड़ादायक होती हैं।

भारत में ज्यादातर घरेलू हिंसा दहेज प्रथा को लेकर है। दहेज के पीछे ऐतिहासिक दृष्टिकोण यह था कि पहले पिता अपनी कन्या की शादी के अवसर पर खुशी-खुशी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा से जो भी देता था, उसे कन्या का स्त्री-धन माना जाता था। इसमें किसी की माँग नहीं होती थी। लेकिन धीरे-धीरे स्त्रीधन का आशय बदलकर उपहार के रूप में हो गया है। फिर यह वर-पक्ष के लालच, बेटे की कीमत वसूलने की चाहत आदि के रूप में दहेज कन्यापक्ष के लिए बोझ बन गया है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि लड़कीवाले अपनी बेटी की शादी करने हेतु जितनी कीमत चुकाते हैं, उससे ज्यादा वे अपने बेटे की शादी में लड़कीवालों से लेते हैं। इस रूप में दहेज प्रथा भयानक रूप में बरकरार है। दहेज के नाम से इस लेन-देन के बीच पीड़ित व शोषित स्त्री ही होती है। दहेज के कम होने से पति व ससुरालवालों के द्वारा पिटाई रोज उसे सहनी पड़ती है। इस उत्पीड़न से मुक्त होने हेतु वह अपने मायकेवालों को बताने के बजाय आत्महत्या करती है। कभी उसे ससुरालवालों द्वारा मार दिया जाता है और इसका

पुलिस केस न हो इसलिए, पैसा देकर इस हत्या को मात्र आत्महत्या के नाम से टाल दिया जाता है। दहेज के लिए पुरुष दूसरी शादी भी कर लेता है।

आधुनिक समाज पहले से अधिक शिक्षित होता जा रहा है, इसके बावजूद इनकी मानवीय सोच बदली नहीं हैं। स्त्री का शोषण परिवार से ही शुरू हो जाता है, जहाँ लड़का-लड़की में भेदभाव किया जाता है। माँ-बाप अपने बेटे को बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं, यही नहीं, खाने में भी भेदभाव किया जाता है, जैसे कि बेटे के लिए अलग से कुछ बनाकर खिलाना। बच्चे एक ही माँ-बाप के होते हुए भी लड़के की तुलना में लड़की की उपेक्षा उसके मन में कई प्रकार के मानसिक तनाव का कारण बन जाती है, जिससे उसके मन में माँ-बाप और भाई के प्रति घृणा का भाव पैदा हो जाता है। दूसरी बात यह है, कि समाज में कुपोषितों की संख्या में सबसे ज्यादा लड़कियाँ पाई जाती हैं। इसका कारण लड़कियों तक उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाना ही है। इस वजह से लड़कियों के शारीरिक विकास में बहुत अधिक कमजोरी आई है तथा हीमोग्लोबिन की कमी अक्सर पाई जाती है। ऐसी ही लड़कियाँ जब बच्चे पैदा करती हैं तो उनके बच्चे भी वैसे कुपोषित हो जाते हैं। लड़की के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है, कोई उसका सही इलाज नहीं करवाता है। इससे उसकी बीमारी और भी बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप स्त्री मृत्यु दर भी बढ़ता रहता है। ज्यादातर लड़की के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आर्थिक स्थिति और कुछ उनकी अपनी विशिष्टता के कारण होती हैं। इसके चलते महिलाओं की या बच्चों की प्रजनन के दौरान मृत्यु होती है। खून की कमी, अन्य प्रकार की बीमारियाँ आदि महिलाओं के भोजन व स्वास्थ्य में भेदभाव करने से होता है। यदि स्त्री के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया होता मृत्यु दर इतना न बढ़ता। ये सब स्त्री के साथ किए जा रहे भावनात्मक व शारीरिक शोषण ही हैं।

शिक्षा और नौकरी के स्तर पर भी स्त्री को पीछे धकेल दिया जाता है। "जहाँ स्त्री की साक्षरता की दर 1901 में 0.69 प्रतिशत से 1971 में बढ़कर 18.4 प्रतिशत हो गई वहाँ निरक्षर स्त्रियों से बढ़कर स्त्री शिक्षा 1950-51 में 16 करोड़15 लाख से बढ़कर 1970-71 में21 करोड़ 53 लाख हो गई है।"[2] इस तरह भारतवर्ष में निरक्षर लोगों के आँकड़े में स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि समाज लड़की को पढ़ाने से ज्यादा खाना बनाना आदि काम सिखाने में दिलचस्पी दिखाता है, जबकि वही लोग लड़के को पढ़ाने में ज्यादा खर्च भी करते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा में भेदभाव किस स्तर पर है। इसका नतीजा यह होता है कि लड़की के चाहने पर भी वह पुरुष की तरह शिक्षा नहीं हासिल कर पाती। इस तरह अशिक्षित होने से वह अच्छी नौकरी भी नहीं कर पाती । इस रूप में एक स्त्री को अपनी क्षमता का उपयोग करने का अवसर ही नहीं है। इससे स्त्री को अपने अधूरे सपनों के साथ ही जीना पड़ता है। इस तरह लिंग भेदी मानसिकता की वजह से स्त्री के प्रति समाज का रवैया इतना विकृत हो चुका है, कि जिसके जरिए कन्या के जन्म लेने के पहले से उसका क़त्ल किया जाता है। इसकी जड़ हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। अर्थात् इस काल में कन्या शिशु जन्म को अशुभ माना जाता था, जिसका उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में ऐसी प्रार्थना की जाती थी कि यदि गर्भ में पुत्री है तो उसे पुत्र में बदल दिया जाए। लेकिन आज यह स्थिति कन्या शिशु को मारने तक पहुँच चुकी है, जो कि आज नई तकनीकी के चलते भ्रूण हत्या के रूप में हमारे सामने है। गर्भ में पलनेवाला बच्चा लड़की है, जिसका पता होते ही उसे गिराने हेतु पति द्वारा पत्नी को मजबूर किया जाता है और गर्भपात के लिए जबरन दवा खिलाई जाती है। पत्नी के न मानने पर उसे कई तरह का शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है और यह पत्नी के मानसिक संघर्ष का कारण बन जाता है। अंतत: डर के मारे वह मजबूरन उसके लिए राजी हो जाती है। इस तरह एक स्त्री के बार-बार बच्चा गिराने से उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाता है। यूँही अंत में माँ बनना उसके लिए सिर्फ सपना होकर रह जाता है। इस बात पर भी पति द्वारा पत्नी को ही कोसा जाता है। इस संदर्भ में विचारणीय बात यह है कि यदि पुत्री का जन्म लेना ही कोई पसंद नहीं करता है, तो फिर उसकी शिक्षा की बात ही कोई कहाँ तक कर पायेगा?

क्राईम इन इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 45 मिनट में एक बलात्कार होता है। इस रिपोर्ट के

मुताबिक, सबसे ज्यादा बलात्कार व यौन शोषण सगे-संबंधियों और परिचितों द्वारा होता है। स्त्री के साथ भावनात्मक व यौन शोषण कई रूपों में देखा जा सकता है। कभी प्रेम और दोस्ती के जाल में लड़कियों को फँसाया जाता है तो कभी कैमरा और मोबाईल फोन में लड़कियों के अश्लील चित्र खींचकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है, जिस वजह से परेशान लड़की आत्महत्या करने की कोशिश करती है। घरेलू काम करनेवाली कामकाजी औरत, घर के मालिक या अन्य पुरुष द्वारा यौन शोषण का शिकार होती है, जिसका विरोध करने से उसे घर के काम से हटा दिया जाता है। ऐसे में कभी वह विरोध करने के बजाय नौकरी चले जाने के भय से सब कुछ सहने पर विवश होती है। आर्थिक लाभ हेतु स्वयं पति और माँ-बाप अपनी पत्नी तथा बेटियों को बेचने में भी संकोच नहीं करते हैं। आजकल नाबालिग बालिकाओं के साथ यौन शोषण व बलात्कार की घटनाएँ सामने आ रही है। कभी अध्यापक, ड्राईवर, रिश्तेदार, पड़ोसी आदि द्वारा बालिकाएँ यौन-हिंसा का शिकार होती हैं। बालिकाओं के साथ यौन-हिंसा इसलिए बढ़ रही है कि वे मासूम बच्चे खिलौने, मिठाई के लालच में पुरुषों के हाथ जल्दी पकड़ में आती हैं और वे यह नहीं समझ पाती हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है।

पुरुष द्वारा स्त्री को बुरे तरीके से स्पर्श करना जैसे कि शरीर के किसी अंग से छेड़खानी करना, बालों को छूना, हाथ पकड़ना, किसी महिला को देखकर गाना गाना, इशारा करना आदि अश्लील हरकतें व छेड़खानी स्त्रियों के मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न का हिस्सा है। लड़कियों को देखते ही लड़कों का घूरना, गंदे कमेन्ट करना, गाना गाना शुरू हो जाता है। इसके चलते लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। फिर वह अकेले घर से निकलने में डरने लगती है। कभी स्कूल या कॉलेज व बस या रेलवे स्टेशन के सामने अक्सर ऐसे लड़कों की भीड़ होती है, जो किसी भी लड़की को छोड़ते नहीं है। चलती हुई मोटरवाहन से भी लड़कों की छेड़खानी से स्त्रियाँ परेशान रहती हैं। इन विकृतियों के कारण लड़कियाँ रोज मानसिक शोषण का शिकार होती हैं। यह एक सच्चाई है कि ऐसी कोई लड़की नहीं होगी कि उसे लड़की होने के नाते लड़कों से कोई परेशानी नहीं हुई हो। हर लड़की का ऐसा अपना एक अनुभव जरूर होता है। कभी-कभी लड़का किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से किसी लड़की को अपने प्रेम में फँसा लेता है। लड़की इस बात को समझे बिना उससे प्रेम कर बैठती है। वह लड़की को शादी का वादा देकर उसे बिस्तर तक ले जाता है। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब उसे आसानी से छोड़ देता है। यह बात मानसिक रूप से लड़की को बहुत ज्यादा चोट पहुँचाती है। कभी यह स्थिति उसे मानसिक तनाव और आत्महत्या तक ले जाती है।

समाज में कुछ ऐसी प्रथाएँ भी प्रचलित हैं, जिनका उद्देश्य ही सिर्फ स्त्री का भावनात्मक और शारीरिक शोषण करना मात्र है- जैसे देवदासी प्रथा और डायन प्रथा। देवदासी प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इसके चलते जवान लड़की की शादी देवता के साथ की जाती है, जिसे हिंदू मंदिरों में सौंप दिया जाता था। इस धार्मिक प्रथा के चलते देवदासी कहलाने वाली इन लड़कियों को आजीवन अविवाहित रहना पड़ता था। यही नहीं इस प्रथा के कारण न चाहते हुए भी लड़कियों को इस प्रथा का शिकार होना पड़ता था। भले ही, शुरू में इस प्रथा का उद्देश्य किसी को लुभाना या आकर्षित करना नहीं था, लेकिन आगे चलकर इसका रूप विकृत होकर देह से देह का संबंध होने लगा। अर्थात् देवदासी प्रथा आगे चलकर लड़की के भावनात्मक स्तर पर ही नहीं शारीरिक स्तर पर भी शोषण का माध्यम बनी तथा किसी भी लड़की को देवदासी बनते ही देह व्यापार के धंधे में डाल दिया जाता है। यही नहीं, देवदासियों को मनुष्य के समान नहीं माना जाता था। इस प्रथा को धार्मिक प्रथा से जोड़ने के कारण इसके समर्थक भी बहुत थे। फिर भी कई सामाजिक संगठन और संघर्ष से इस प्रथा को खत्म कर दिया है, पर उसका एक नया रूप है आज वेश्यावृत्ति व कॉल-गर्ल्स। गरीबी के कारण ही स्त्री आज वेश्यावृत्ति करने को मजबूर हो जाती है। भले ही एक दिन की रोटी हेतु स्त्री को वेश्यावृत्ति की ओर अपना सिर झुकाना पड़ता है, तो दूसरी तरफ इसके चलते इसे क्या-क्या नहीं सहना पड़ता है। वेश्याओं को कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और विवाह और एक परिवार का होने का सपना, इनके लिए दूर की बात है। यदि इनके अपने बच्चे होते, तो उनका स्कूल में दाखिला होना भी मुश्किल बात है। इस तरह वेश्याओं का अस्तित्व ही समाज से कटकर होता है,

जिन्हें देखकर ही लोग इनके ऊपर हँसते हैं व गालियाँ देते हैं। गरीबी के अलावा अन्य कारण भी इस वेश्यावृत्ति के पीछे हैं, जैसे कि किसी पुरुष से वंचित होकर या किसी के द्वारा बेच देने पर भी स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति का शिकार होती हैं। इस धंधे के चलते, इसके मालिक के निर्देशानुसार स्त्री को कई पुरुषों के साथ दिन-रात शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। इससे वे कई तरह की बीमारियों की शिकार भी हो जाती हैं। इन बातों से पता चलता है, कि वेश्यावृत्ति स्त्री के लिए कितनी दर्दनाक स्थिति है। इससे लगता है कि वेश्याएँ ही समाज में सबसे ज्यादा मानसिक या शारीरिक रूप से शोषित रहती हैं। इस तरह आदिवासी वर्ग में प्रचलित एक प्रथा 'डायन-प्रथा' है। अशिक्षा और अंधविश्वास के चलते यह प्रथा आज भी प्रचलित है। दक्षिण बिहार और झारखंड आदि जगहों में डायन-प्रथा के चलते स्त्रियों को मार दिया जाता है।

मीडिया द्वारा स्त्री-शोषण एक अहम सवाल के रूप में उभरकर आता है। वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है। प्रत्येक निर्माण-कर्ता अपने माल को बेचने हेतु विज्ञापन का सहारा लेता है। अपने माल की बिक्री की खातिर विज्ञापन में स्त्री का अश्लील प्रयोग किया जाता है (चाहे उसमें स्त्री के चित्रण की जरूरत हो या नहीं), ताकि लोग उसे विज्ञापन को देखें और उसी माल को ही खरीदें। इसलिए किसी भी माल का विज्ञापन हो जिसमें अधिकांशत: स्त्री का अर्द्ध-वस्त्र पहनते हुए चित्रण जरूर देखा जा सकता है। इस रूप में स्त्री को एक वस्तु के रूप में पेश किया जाता है। इसके लिए निर्माता भारी रकम स्त्री के लिए ऑफर करते हैं। पैसे के लालच में स्त्री भी इसका हिस्सा बन जाती है। स्त्री का अर्द्ध-नग्न चित्र अक्सर पत्रिकाओं के कवर पेज में भी देखा जा सकता है। क्रिकट स्टेडियम या बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रोग्राम के अवसर पर भी अर्द्ध-नग्न लड़कियों को खड़ा कर देने के पीछे भी यही कारण है। अर्थात् आज यह मानसिकता बन गई है कि स्त्री को इस तरह एक कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल करने से लोग उसकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। टी.वी. पहले एक ऐसा मनोरजन का साधना था जिसे पूरा परिवार संग साथ बैठकर देखता है। लेकिन समस्या यह बन गई कि आजकल टी. वी सीरियल व अन्य कुछ कार्यक्रम आदि द्वारा भी ऐसा अश्लील चित्रण दिखाया जा रहा है, जो कि पहले मात्र फिल्मों में होता था। इसे देख रहे माँ-बाप को अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होकर टी.वी. बंद करना पड़ता है। आज इंटरनेट का भी जमाना है। यदि बच्चे किसी सूचना हेतु इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसमें क्लिक करते ही उसके आँखों के सामने ऐसा अश्लील चित्र परोसा जा रहा है, जिस वजह से बच्चों में भी कामभावना जागती है। इसके चलते उसके मन में ऐसे चित्र को बार-बार देखने की उत्सुकता रहती है। ये सब स्थितियाँ आगे चलकर स्त्री शोषण को अधिक बढ़ावा देती हैं। यही नहीं, स्कूल, कॉलेज, भीड़भाड़ जगहों में भी स्त्रियों के ऐसे पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, जिसे देखते ही हर स्त्री शर्मिंदा हो जाती है। वास्तव में देखा जाए तो, विज्ञापन, पत्रिका, फ़िल्म, पोस्टर आदि के जरिए स्त्री के शरीर को ही पेश किया जा रहा है। इस तरह फ़िल्म, सीरियल आदि द्वारा बलात्कार, यौन हिंसा, आदि विषयों को दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का एक मात्र उद्देश्य स्त्री के शरीर एवं अंगों को दिखाना ही है। इस संदर्भ में सवाल यह उठता है कि इस तरह स्त्री-शरीर को प्रस्तुत करते हुए मीडिया, समाज की इस नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहती है?

कुल मिलकर कहा जाए तो स्त्री चाहे वह किसी वर्ग, जाति व धर्म की हो, वह कभी धर्म व आस्था के नाम पर, कभी अंधविश्वास, कभी सामाजिक रूढ़ियों, मानवीय सोच, संस्कृति आदि के नाम पर, हर स्थिति में भावनात्मक और शारीरिक शोषण से जूझ रही है। अत: हम कह सकते हैं कि समाज की आधी आबादी 21वीं सदी में आकर भी पराधीन और शोषित है।

संदर्भ

1. आशारानी व्होरा, नारी शोषण: आईने और आयाम, पृ. 70
2. अंजुमन दीप कौर, कामकाजी नारी : उपलब्धि और संताप के दायरों में, पृ. 36

www.transframe.in

ISSN 2455-0310